

कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड [सीआयएचएल]

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें - संपत्ति के खिलाफ के लिए

कर्ज क्र. -

उधारकर्ता का नाम -

निम्नलिखित उधारकर्ता और कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड (CIHL) के बीच सहमत सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें हैं।

अ - शुल्क और शुल्क: - सभी राशियाँ GST / लागू कर को छोड़कर।

अनु क्रमांक।	विषय	शुल्क / प्रभार का नाम	जब देय	आवृत्ति	लागू शुल्क
१	गृह ऋण (वेतनभोगी, स्व-नियोजित पेशेवर, स्व-नियोजित गैर-पेशेवर)	आवेदन शुल्क	आवेदन पर	एक बार	ऋण राशि का ४% तक।
२	वैधानिक प्रभार	CERSAI (मूल फाइलिंग और परिवर्तन के लिए)	संवितरण के समय	एक बार	रु . ५ लाख तक के ऋण के लिए - रु। ५० / - (प्रति दाखिल / परिवर्तन)। ५ लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए - रु। १०० / - (प्रति फाइलिंग / परिवर्तन)।
३	वैधानिक प्रभार	मोर्टगेज डीड / एमओई पर स्टैप ड्यूटी शुल्क	संवितरण के समय	एक बार	जैसा कि संबंधित राज्यों में लागू है
४	अधिक शुल्क / देर से भुगतान शुल्क (गृह ऋण)	अतिरिक्त ब्याज / अतिदेय शुल्क	प्रोन्नत पर	महीने के	प्रचलित ब्याज दर पर प्रति माह २.००%
५	दर स्वेपिंग चार्ज ((वेतनभोगी और एसईएनपी के लिए)	रूपांतरण शुल्क	घटना	रूपांतरण पर	रुपये। ५००० / -
६	नाच / ईसीएस जनादेश के अनादर शुल्क / अस्वीकृति की जाँच करें	विविध रसीदें	चेक / शासनादेश	नहीं पर निर्भर करता है। दशन का।	रुपये। ५०० / - हर चेक अनादर के लिए / ईसीएस / ऑटो डेबिट / एनएएसी जनादेश की अस्वीकृति

७	दस्तावेजों की सूची प्रदान करना	विविध रसीदें	घटना	केवल ग्राहक के लिए आरंभिक अनुरोध	तक रु। ५०० / - प्रति अनुबंध।
८	ऋण समझौता और दस्तावेज पुनर्प्राप्ति शुल्क	विविध रसीदें	घटना	केवल ग्राहक के लिए आरंभिक अनुरोध	रुपये। २००० / - प्रति अनुरोध।
९	स्वैपिंग चार्ज (ECS / NACH to PDC)	विविध रसीदें	घटना	सभी पर	रुपये। १००० / - प्रति अनुरोध।
१०	ऋण रद्द करने का शुल्क	रद्द करने का आरोप	घटना	एक बार का चार्ज	रुपये। १०००० / - प्रति अनुबंध
११	संग्रह / वसूली	प्रभार	घटना	-	वास्तविक के अनुसार
१२	कानूनी प्रभार	प्रभार	घटना	-	वास्तविक के अनुसार
१३	क्रेडिट जीवन और सामान्य बीमा के लिए अतिरिक्त प्रसंस्करण शुल्क	व्यवस्थापक शुल्क	संवितरण के समय	यदि लागू हो	तक रु। २००० / -

आ - प्री-पेमेंट और फौजदारी शुल्क जीएसटी / लागू कर को बाहर कर रहे हैं।

दर विवरण	समझौते के लिए पार्टी	फौजदारी शुल्क		आंशिक पूर्वभुगतान शुल्क
		खुद के पूंजी द्वारा बंद	बैलेस ट्रांसफर (बीटी) द्वारा बंद	खुद के पूंजी द्वारा बंद
फ्लोटिंग रेट योजना	सभी व्यक्ति	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
	यहां तक कि १ गैर व्यक्तिगत	४%	४%	पूर्व भुगतान २५% से अधिक मूलधन बकाया पर ४%
निश्चित दर योजनाएँ	व्यक्तियों / गैर व्यक्तियों	४%	४%	पूर्व भुगतान २५% से अधिक मूलधन बकाया पर ४%
<p>* अर्ध-फिक्स्ड ऋण (प्रारंभिक अवधि और फिर अस्थायी के लिए निर्धारित) के मामले में, फौजदारी / भाग भुगतान मानदंड दिन के अनुसार ऋण की स्थिति (निर्धारित / अस्थायी) के अनुसार दिन के अनुसार लागू होंगे।</p> <p>* (एक भी गैर-व्यक्तिगत और निश्चित दर योजनाएं) किसी भी प्रस्तावित फौजदारी की तारीख से मुख्य राशिका पिछले १२ (बारह) महीनों में पूर्व भुगतान किया गया हो तो उस पर पूर्व भुगतान शुल्क लागू होगा जैसा कि स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट है। पूर्व प्रधान १२ (बारह) महीनों और फौजदारी राशि के दौरान पूर्व भुगतान पर निर्भर करता है।</p>				

इ - ऋण के संवितरण के लिए शर्तें।

कृपया उसी के लिए ऋण समझौता और स्वीकृति पत्र देखें। उपर्युक्त शुल्क ऋण समझौते में उल्लिखित शुल्कों को प्रभावित करते हैं।

ई - बकाया राशि की वसूली के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया।

१. यदि डिफॉल्ट की घटनाओं में से एक या एक से अधिक घटनाएँ हुई हैं, तो उधारकर्ता, को एक लिखित नोटिस द्वारा मूल और सभी उपाजित ब्याज और ऋणों पर लगने वाले ब्याज की घोषणा कर सकता है, जो उधारकर्ता द्वारा या उसके तहत देय हो सकता है समझौते और / या किसी भी अन्य समझौतों की शर्तों, उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच, साथ ही साथ अन्य सभी शुल्कों और बकाया देय होने वाले दस्तावेज, और इस तरह की घोषणा पर देय और देय होने के बावजूद और सुरक्षा के संबंध में ऋण और कोई अन्य ऋण लागू करने योग्य हो जाएगा, भले ही समझौते या किसी अन्य समझौते / दस्तावेजों के विपरीत कुछ भी हो। डिफॉल्ट की किसी भी घटना के होने पर, ऋणदाता को अन्य सभी शुल्कों और ब्याज के साथ संपूर्ण बकाया ऋण राशि को वापस लेने का अधिकार होगा और उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर ऐसी ऋण राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो बिना किसी विरोध या विरोध के।

२. यदि कोई डिफॉल्ट या किसी भी घटना की घटना, जो नोटिस या समय की चूक या दोनों के बाद, डिफॉल्ट की एक घटना घटित होगी, तो उधारकर्ता इस तरह के डिफॉल्ट की घटना को निर्दिष्ट करने के लिए लिखित रूप में ऋणदाता को नोटिस देगा।, या इस तरह की घटना।

३. डिफॉल्ट की स्थिति में, ऋणदाता संवाद करने का हकदार होगा, जिस तरह से वह किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हो सकता है, जो डिफॉल्ट की गई राशियों को वसूलने में शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं संपत्ति और / या उधारकर्ता के काम के स्थान पर जाना।

४. ऋणदाता अपने सभी अधिकारों का उपयोग करने का हकदार होगा जैसा कि ऋण समझौते और उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच निष्पादित अन्य संबंधित दस्तावेजों में निर्दिष्ट है।

गिरवी / प्रतिभूतियों के प्रवर्तन की पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया, जिसमें वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, २००२ (SARFAESI अधिनियम) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा और बिक्री तक सीमित नहीं है। या किसी अन्य कानून के तहत, विशुद्ध रूप से संबंधित कानून के तहत निर्धारित निर्देशों के तहत पालन किया जाता है। विभिन्न कानूनी उपकरणों जैसे कि निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट, सिविल सूट, सरफेसी एक्ट आदि के द्वारा ओवरड्यूज की रिकवरी के लिए उचित कानूनी कदम शुरू करने से पहले ग्राहक को सूचना/ अनुस्मारक/ नोटिस दिए जाते हैं।

उ - ग्राहक सेवा :

शाखा के दर्शन का समय	सोमवार से शुक्रवार सुबह १०:०० से शाम ६:३० बजे (सभी छुट्टियों के दिन और सार्वजनिक छुट्टियों पर बंद)
कस्टमर केयर संपर्क विवरण	customercare@caitalindia.com हेल्प लाइन नंबर +९१ ०२२ ४९३८५०००

ऊ - ग्राहकों द्वारा शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:

ग्राहक जो शिकायत दर्ज करने का इरादा रखते हैं, वे निम्नलिखित तरीके से दायर करेंगे:

प्राथमिकस्तर:

वे ग्राहक जो कंपनी के किसी भी कार्य दिवस पर सुबह १०:०० से शाम ६:३० बजे के बीच निम्नलिखित में से किसी भी प्रणाली का उपयोग करके कंपनी के साथ शिकायत दर्ज करने का इरादा रखते हैं और ऐसी शिकायत के संबंध में पूरा विवरण प्रस्तुत करते हैं:

क) कंपनी के सभी क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों में उपलब्ध शिकायत रजिस्टर में शिकायत दर्ज करें;

ख) customercare@capitalindia.com पर ईमेल करे

ग) कंपनी के समर्पित ग्राहक सेवा हेल्पलाइन नंबर +९१ ०२२ ४९३८५००० पर कॉल करें; या

घ) नीचे लिखे पते पर कंपनी को लिखें:
कैपिटल इंडिया होम लोन लिमिटेड
७१३ और ७१४, 'ए' विंग, कनकिया वॉल स्ट्रीट,
अंधेरी कुर्ला रोड, चकला,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- ४०० ०९३

द्वितीय स्तर :

यदि शिकायत दर्ज होने की तारीख से ७ (सात) कार्य दिवसों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है या ग्राहक प्रतिक्रिया या प्राथमिक स्तर पर ग्राहक को दिए गए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है, तो ग्राहक शिकायत को बढ़ा सकता है service@capitalindia.com पर लिखित रूप में कंपनी का नोडल अधिकारी। नोडल अधिकारी का संपर्क विवरण कंपनी के सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय में उपलब्ध है।

तीसरे स्तर:

यदि, ग्राहक प्रतिक्रिया या कंपनी के नोडल अधिकारी द्वारा माध्यमिक स्तर पर प्रदान किए गए संकल्प से संतुष्ट नहीं है, या शिकायत अभी भी प्राप्त होने की तारीख से १४ (चौदह) कार्य दिवसों के भीतर हल नहीं हुई है कंपनी के नोडल अधिकारी द्वारा शिकायत करने पर, ग्राहक विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग, एनएचबी के प्रभारी अधिकारी से अपील कर सकता है;

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग,
नेशनल हाउसिंग बैंक।
४ वीं मंजिल, कोर ५ ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली- ११० ००३ ।
<https://grids.nhbonline.org.in/>

उपरोक्त नियम और शर्तें उधारकर्ता द्वारा पढ़ी गई हैं या उधारकर्ता को पढ़ाई गई हैं और उधारकर्ता द्वारा समझी गई हैं।

कैपिटल इंडिया होम लोन लिमिटेड के लिए

इसके द्वारा स्वीकृत

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

उधारकर्ता/ उधारकर्ताओं

दिनांक :